गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 246
दि. 06.01.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

2020 दिल्ली दंगा मामला: जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शरजील इमाम, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, पांच अन्य आरोपियों को राहत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बहुचर्चित साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इस मामले के दो प्रमुख आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत की टिप्पणियों से यह संकेत जरूर मिला है कि भविष्य में दोनों को जमानत मिलने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं, इसी मामले में नामजद पांच अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिससे मामले में कानूनी और राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सभी आरोपी एक समान भूमिका में नहीं हैं और "भागीदारी के स्तर के क्रम" को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए उन्हें इस चरण पर जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि, फैसले के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की, जिसे उमर खालिद और शरजील इमाम के पक्ष में एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है। एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा के वकील सारिम नावेद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि इस मामले का ट्रायल यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि अगर एक साल के भीतर सभी संरक्षित गवाहों की जांच पूरी नहीं होती है, तो उमर

खालिद और शरजील इमाम एक साल बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सारिम नावेद के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लंबी अवधि तक विचाराधीन कैदियों को जेल में रखना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो सकता है, बशर्ते ट्रायल में अनावश्यक देरी हो रही हो। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया कि वर्तमान परिस्थितियों में और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि 2020 के दिल्ली दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस हिंसा के पीछे एक सुनियोजित साजिश का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए थे। उमर खालिद और शरजील इमाम को इस कथित साजिश के प्रमुख चेहरों में शामिल बताया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस मामले में सभी आरोपी एक ही स्तर पर खड़े नहीं हैं। इसी आधार पर अदालत ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि इन पांचों की भूमिका, आरोपों की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्य उमर खालिद और शरजील इमाम से अलग हैं, इसलिए उन्हें राहत दी जा सकती है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों में अदालत को हर आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका, उसके खिलाफ उपलब्ध सामग्री और जांच की प्रगति को ध्यान में रखना होता है। अदालत ने यह भी दोहराया कि यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के तहत जमानत का मानक अलग होता है और इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया सामग्री को देखा जाता है, न कि पूरे मामले के अंतिम निष्कर्ष को।

इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। जहां एक ओर उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थकों ने जमानत न मिलने पर निराशा जताई है, वहीं दूसरी ओर पांच आरोपियों को राहत मिलने को न्यायिक संतुलन का संकेत बताया जा रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह भी दर्शाता है कि अदालत ट्रायल में देरी को लेकर गंभीर है और यदि समयबद्ध तरीके से गवाहों की जांच पूरी नहीं होती है, तो भविष्य में जमानत के दरवाजे खुल सकते हैं।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम को जेल में ही रहना होगा, जबकि पांच अन्य आरोपी कानूनी शर्तों के साथ जेल से बाहर आ सकेंगे। आने वाले समय में इस मामले का ट्रायल किस गति से आगे बढ़ता है, इस पर न केवल आरोपियों का भविष्य निर्भर करेगा, बल्कि यह फैसला भारत में यूएपीए जैसे कानूनों के तहत जमानत के मानकों को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल भी बन सकता है।

एसआईआर के अमानवीय बर्ताव के खिलाफ कोर्ट जाएंगी ममता, अभिनेता सांसद देव समेत परिवार के तीन सदस्यों को नोटिस से सियासत गरमाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन—एसआईआर) को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को "अमानवीय और जनविरोधी" बताते हुए इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। सागर द्वीप में आयोजित जनसभा के दौरान ममता ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर प्रशासनिक मनमानी हो रही है और आम नागरिकों को डराकर, दबाव बनाकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त कारण और पारदर्शी प्रक्रिया के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जो संविधान और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ होती है और इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी, पक्षपात या कठोरता सीधे नागरिक अधिकारों पर चोट है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान सत्यापन के नाम पर लोगों को नोटिस थमाए जा रहे हैं, उनसे ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जिन्हें जुटा पाना कई बार बुजुर्गों, ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बेहद मुश्किल है। ममता के मुताबिक, यह पूरी कवायद भय और अनिश्चितता का माहौल बना रही है, जिससे लोग अपने ही नागरिक होने पर संदेह में पड़ने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया से जुड़े मानवीय पहलू को रेखांकित करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर से जुड़े मानसिक तनाव और कथित उत्पीड़न के चलते राज्य में कुछ लोगों की जान तक चली गई है, जबकि कई अन्य को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों और महिलाओं को सत्यापन केंद्रों पर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, जो किसी भी संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था के विपरीत है। ममता बनर्जी ने इसे "मानवीय संकट" करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार चुप नहीं बैठेगी और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

विवाद उस समय और गहरा गया जब चुनाव आयोग की ओर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद और लोकप्रिय अभिनेता देव समेत उनके परिवार के तीन सदस्यों को नागरिकता और मतदाता पहचान से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए। यह नोटिस सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। तृणमूल कांग्रेस ने इसे चयनित और लक्षित कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया कि जानबूझकर चर्चित हस्तियों और सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि राजनीतिक दबाव बनाया जा सके।

देव से पहले भी कई जानी-मानी हस्तियों को इसी तरह के नोटिस मिल चुके हैं। अभिनेता अनिर्बान भट्टाचार्य और वरिष्ठ कलाकार दंपति कौशिक बनर्जी तथा लाबोनी सरकार को भी नागरिकता प्रमाण से संबंधित नोटिस दिए जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इन नोटिसों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देना है। पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब ये हस्तियां वर्षों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, चुनाव लड़ती-जीतती रही हैं और उनके दस्तावेज पहले ही विभिन्न संस्थाओं के पास मौजूद हैं, तो फिर अचानक इस तरह के नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर बंगाल के लोगों को डराने-धमकाने की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ममता ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग या कोई भी संस्था कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष तरीके से काम करे, तो राज्य सरकार सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन यदि प्रक्रिया जनविरोधी और पक्षपातपूर्ण होगी तो उसका विरोध किया जाएगा। दूसरी ओर, चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इन आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करना है, ताकि फर्जी या दोहरे नाम हटाए जा सकें। आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए की जाती है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि इस बार इसका तरीका और समय दोनों ही संदेह पैदा करते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची का मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है। एसआईआर को लेकर उठे सवाल न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी दूरगामी असर डाल सकते हैं। यदि मामला अदालत तक जाता है, तो यह तय करेगा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की सीमाएं और शर्तें क्या होंगी तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी।

अजमेर शरीफ दरगाह पर पीएम को चादर चढ़ाने से नहीं रोक सकते, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अजमेर शरीफ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी जाने वाली चादर को चढ़ाने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य नहीं है और इस पर सुनवाई करने का कोई आधार नहीं बनता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बरुन सिन्हा ने दलील दी कि वर्ष 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई परंपरा के तहत प्रधानमंत्री द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजी जाती रही है, लेकिन इस परंपरा का कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सरकार या प्रधानमंत्री द्वारा किसी विशेष धार्मिक स्थल को आधिकारिक रूप से सम्मान देना संविधान की भावना के खिलाफ है और इसे

रोका जाना चाहिए।

इस पर चीफ जस्टिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह विषय न्यायालय के दायरे में हस्तक्षेप योग्य नहीं है। पीठ ने कहा कि अदालत इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी क्योंकि इसमें ऐसा कोई कानूनी प्रश्न नहीं है, जिस पर न्यायिक निर्णय की आवश्यकता हो। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से यह भी कहा कि अगर कोई दीवानी विवाद लंबित है तो उसके लिए उचित मंच निचली अदालत है, न कि संविधान के तहत दायर रिट याचिका।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दावा किया गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण एक प्राचीन शिव मंदिर के खंडहरों पर किया गया है और इससे संबंधित भूमि विवाद निचली अदालत में पहले से लंबित है। वकील ने तर्क दिया कि जब तक यह विवाद तय नहीं हो जाता, तब तक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दरगाह को किसी भी प्रकार का औपचारिक या प्रतीकात्मक सम्मान दिया जाना अनुचित है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि लंबित दीवानी मुकदमे पर इस रिट याचिका के खारिज होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका खारिज होने का मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपायों से वंचित किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को कोई वैधानिक अधिकार प्रभावित होता दिखता है तो वह संबंधित दीवानी अदालत में जाकर उचित राहत की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि उसके इस आदेश से किसी भी लंबित मुकदमे की कार्यवाही प्रभावित न हो।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष अजमेर शरीफ दरगाह में आयोजित उर्स के अवसर पर चादर भेजते हैं, जिसे केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिनिधि दरगाह में चढ़ाते हैं। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है और इसे सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी भाईचारे और सूफी परंपरा के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा इस परंपरा का निर्वहन किया जाता रहा है।

याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह और हिंदू संगठन से जुड़े विष्णु गुप्ता ने अदालत के बाहर यह भी कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिए जा रहे राज्य प्रायोजित सम्मान और संरक्षण से असहमत हैं। उनका दावा है कि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मोइनुद्दीन चिश्ती विदेशी आक्रमणकारियों से जुड़े थे, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर विजय प्राप्त की और स्थानीय आबादी पर दमन व धर्मांतरण किया। उनके अनुसार यह भारत की संप्रभुता, गरिमा और सभ्यतागत मूल्यों के विपरीत है।

दिल्ली विधानसभा में हंगामा, आम आदमी पार्टी के 4 विधायक तीन दिन के लिए निलंबित

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सदन में तीखी राजनीतिक नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (आप) के चार विधायकों को सदन की कार्यवाही से तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया। निलंबन की यह कार्रवाई उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कथित अवमानना और व्यवधान पैदा करने के आरोपों के चलते की गई है।

दिल्ली विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई, लेकिन इसी दौरान आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों द्वारा विरोध और टोका-टोकी किए जाने से सदन का माहौल गरमा गया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि आप विधायकों ने जानबूझकर उपराज्यपाल के संबोधन में बाधा डाली और सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया।

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन के पटल पर निंदा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के चार विधायकों—संजीव झा, जरनैल सिंह, सोमदत्त और कुलदीप कुमार—का व्यवहार असंसदीय था। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ संवैधानिक पद की अवमानना है, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं के भी खिलाफ है। मंत्री ने मांग की कि इन विधायकों को सख्त संदेश देने के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जाए। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मंत्री के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इसे स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि आम आदमी पार्टी के चारों विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से तीन दिन के लिए, यानी 6, 7 और 8 जनवरी तक निलंबित किया जाता है। स्पीकर के आदेश के बाद संबंधित विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया।

इससे पहले भी विधानसभा में स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई थी, जब उपराज्यपाल के संबोधन के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह बोलने की कोशिश करने लगे। स्पीकर ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन जब वे नहीं माने तो मार्शलों को बुलाकर उन्हें सदन से बाहर करवा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित कर जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहता। वहीं आम आदमी पार्टी ने निलंबन की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक करार दिया है। आप नेताओं का आरोप है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया और सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली विधानसभा में यह टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। चार विधायकों के निलंबन के बाद विपक्ष की संख्या और प्रभाव दोनों ही प्रभावित होंगे, जिससे सदन में सरकार को विधायी कामकाज आगे बढ़ाने में आसानी मिल सकती है।

उधर, विधानसभा सचिवालय की ओर से जानकारी दी गई है कि मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। निलंबन की अवधि पूरी होने के बाद 9 जनवरी को आम आदमी पार्टी के ये चारों विधायक दोबारा सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। कुल मिलाकर, शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही राजनीतिक टकराव के साथ हुई है। उपराज्यपाल के अभिभाषण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच चुका है।

मणिपुर में उग्रवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चार उग्रवादी गिरफ्तार

(जीएनएस)। इंफाल। मणिपुर में सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस ने उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए एक अहम सफलता हासिल की है। इंफाल घाटी के अलग-अलग इलाकों में चलाए गए विशेष अभियानों के दौरान प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन गिरफ्तारियों से राज्य में सक्रिय उग्रवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एक सदस्य को थौबल जिले के कैरेम्बिखोक मैयाई लीकाई स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि आरोपी लंबे समय से संगठन की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से उसके आवास पर दबिश दी और बिना किसी प्रतिरोध के उसे हिरासत में ले लिया।

इसी क्रम में पीएलए के दो अन्य सदस्यों—35 वर्षीय लैशराम कुल्लाबी मेइती और 45 वर्षीय लैशराम जीवन सिंह—को भी रविवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी संगठन के लिए काम करते हुए क्षेत्र में उगाही, लोगों को डराने-धमकाने और संगठन के लिए संसाधन जुटाने जैसी गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी से संगठन की स्थानीय गतिविधियों पर असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

वहीं एक अलग अभियान में प्रतिबंधित संगठन कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (तैबंगनबा) के एक सक्रिय सदस्य तेंसुबम बंगकिम सिंह को इंफाल पूर्व जिले के कोंगबा खुनौ इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी इलाके में संगठन की विचारधारा फैलाने और नए लोगों की भर्ती में शामिल था। उसकी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी और सही समय पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी उग्रवादियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान उनके नेटवर्क, सहयोगियों, वित्तीय स्रोतों और हाल के दिनों में की गई गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारियां मिलने की संभावना है। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये आरोपी किसी बड़ी उग्रवादी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि मणिपुर में शांति और कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सक्रिय किसी भी प्रतिबंधित संगठन को बख्शा नहीं जाएगा और आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाल के महीनों में उग्रवाद के खिलाफ की गई कार्रवाइयों को इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।

पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जनता के सहयोग से ही राज्य में स्थायी शांति और सामान्य स्थिति बहाल की जा सकती है।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

वेनेज़ुएला पर हमला

पिछले लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहे वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया जाना केवल एक देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप भर नहीं है, बल्कि यह समूची अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक खतरनाक नज़ीर भी बनता है। किसी संप्रभु राष्ट्र पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को गिरफ़्तार करके अमेरिका ले जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राष्ट्रों की समान संप्रभुता की अवधारणा का खुला उल्लंघन है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि ट्रंप ने सत्ता परिवर्तन होने तक वेनेज़ुएला के संचालन को वाशिंगटन से नियंत्रित करने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा आधुनिक समय में औपनिवेशिक मानसिकता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जिसमें ताकतवर देश अपने हितों के लिए कमजोर राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता को कुचलने में कोई संकोच नहीं करता। वेनेज़ुएला में मादुरो के पतन के बाद वहां की जनता की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से एकरूप नहीं होगी। एक वर्ग ऐसा है जो वर्षों से चले आ रहे आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और जीवन की बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए मादुरो सरकार को जिम्मेदार मानता रहा है। लाखों वेनेज़ुएलावासी देश छोड़कर पड़ोसी देशों और अमेरिका की ओर पलायन कर चुके हैं। राजनीतिक असहमति को दबाने, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने और चुनावी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठने जैसे आरोप भी मादुरो शासन के साथ जुड़े रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन पर मादक पदार्थों की तस्करी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाते रहे। इन सब तथ्यों के कारण मादुरो की छवि एक असफल और निरंकुश शासक की बनाई गई।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मादुरो को एक वैश्विक खलनायक के रूप में स्थापित करने के पीछे केवल उनकी आंतरिक नीतिगत विफलताएं ही नहीं थीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक रणनीति भी सक्रिय थी। वेनेज़ुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं और यही तथ्य उसे वैश्विक शक्ति संतुलन में एक अहम स्थान देता है। वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन का असली उद्देश्य तानाशाही के पीड़ितों को न्याय दिलाना या लोकतंत्र बहाल करना नहीं, बल्कि वेनेज़ुएला के तेल संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। ट्रंप द्वारा यह कहना कि मादुरो को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान का खर्च वेनेज़ुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, इस संदेह को और भी मजबूत करता है। यह कथन किसी संप्रभु देश के प्राकृतिक संसाधनों पर खुलेआम दावा करने जैसा है।

अमेरिका द्वारा सैन्य अभियान चलाकर किसी देश के शासनाध्यक्ष को गिरफ्तार करना और वहां की सत्ता को अपने नियंत्रण में लेना साम्राज्यवादी सोच का ही प्रतीक है। यह वही सोच है जिसने इराक और अफगानिस्तान को दशकों तक युद्ध, अस्थिरता और हिंसा के दलदल में धकेल दिया। इन देशों में भी अमेरिका ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और सुरक्षा के नाम पर हस्तक्षेप किया था। शुरुआती दौर में अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ और शासन परिवर्तन तेजी से हुआ, लेकिन वर्षों बाद इन अभियानों का अंत अव्यवस्था, आतंकवाद और अपमानजनक वापसी के रूप में हुआ। सबसे दुखद पहलू यह रहा कि इन देशों की जनता आज भी सामान्य जीवन और स्थिर शासन की तलाश में संघर्ष कर रही है। इतिहास यह सिखाता है कि किसी शासक को हटाना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन एक स्थिर और समावेशी राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करना कहीं अधिक कठिन।

वेनेज़ुएला के मामले में भी यही खतरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ट्रंप प्रशासन ने यह तो घोषित कर दिया कि सत्ता परिवर्तन तक देश का संचालन वाशिंगटन से होगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि इसके बाद सत्ता किसे सौंपी जाएगी। कौन वह नेता होगा जो वास्तव में वेनेज़ुएला की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा? क्या सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में देश के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, या फिर कोई ऐसा नेतृत्व थोपा जाएगा जो केवल अमेरिकी हितों की रक्षा करे? इन सवालों के जवाब न होने से आशंका पैदा होती है कि वेनेज़ुएला लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष और सामाजिक विभाजन का शिकार बना रह सकता है। इस अमेरिकी कार्रवाई के गहरे भू-राजनीतिक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। यहां तक कि मादुरो के विरोधी रहे अमेरिका के सहयोगी देश भी अब खुलकर चिंता और चेतावनी जता रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर आज अमेरिका वेनेज़ुएला में इस तरह हस्तक्षेप कर सकता है, तो कल किसी और देश की संप्रभुता भी इसी तरह खतरे में पड़ सकती है। रूस और चीन ने इस कदम को नियम-कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताया है। उनका कहना है कि अगर शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ने लगेंगे, तो वैश्विक स्थिरता बनाए रखना असंभव हो जाएगा।

गिग-वर्कर्स: डिजिटल सुविधा की चकाचौंध में पसीने का अंधेरा

> भारत सरकार द्वारा हालिया श्रम सुधारों में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर कंपनियों के टर्नओवर का एक से दो प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान, आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर जैसी व्यवस्थाएँ एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम हैं।

ऑनलाइन बाज़ार और त्वरित सेवाओं के इस दौर में गिग-वर्कर्स शहरी जीवन-व्यवस्था की वह अदृश्य रीढ़ बन चुके हैं, जिनके बिना 'दस मिनट में डिलीवरी' और 'एक क्लिक पर सुविधा' की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाज़ार आने-जाने के झंझट से लोगों को मुक्त करने वाले ये युवा हर मौसम, हर समय और हर जोखिम में घर-घर सामान पहुँचाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिनके श्रम पर डिजिटल अर्थव्यवस्था की ऊँची इमारत खड़ी है, वही श्रमिक सबसे अधिक असुरक्षा, शोषण और उपेक्षा झेल रहे हैं। नये साल की पूर्व संध्या पर गिग-वर्कर्स द्वारा की गई हड़ताल ने भले ही देशव्यापी आपूर्ति-श्रृंखला को ठप न किया हो, लेकिन इसने उनकी बदहाल कार्य-परिस्थितियों की ओर देश का ध्यान अवश्य खींचा है। यह हड़ताल किसी राजनीतिक उकसावे का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते काम के दबाव, घटते मेहनताने, नौकरी की अनिश्चितता और सम्मान के अभाव की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी।अपना व परिवार का पोषण करने वाले इन युवा गिग-वर्कर्स को अक्सर सरपट दौड़ती मोटरसाइकिलों पर, भारी थैलों के साथ ऊँची इमारतों की सीढ़ियाँ चढ़ते देखा जा सकता है। समय सीमा का दबाव इतना तीव्र होता है कि ज़रा-सी देरी पर आर्थिक दंड झेलना पड़ता है। दुर्घटना, बीमारी या तकनीकी गड़बड़ी-किसी भी स्थिति में उनकी आय पर सीधा असर पड़ता है। ग्राहकों का व्यवहार भी प्रायः असंवेदनशील होता है। देर होने पर झिड़कियाँ, सामान में कमी निकालकर अपमान, कभी-कभी हिंसक व्यवहार और रेटिंग के ज़रिये भविष्य की कमाई पर प्रहार- यह सब इनके रोज़मर्रा का हिस्सा है। इसके बावजूद औसतन 12-14 घंटे काम करने के बाद भी सात-आठ सौ रुपये की आय और वह भी बिना समुचित बीमा या सामाजिक सुरक्षा के एक गहरे शोषण की ओर इशारा करती है।

गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं जो पारंपरिक नौकरी के बजाय अस्थायी, लचीले और स्वतंत्र रूप से छोटे-छोटे काम (गिग्स) करते हैं, जो अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ऊबर, स्वीगी,

जोमाटोज् या अन्य ऐप्स के ज़रिए मिलते हैं और इन्हें प्रति कार्य या प्रोजेक्ट के हिसाब से भुगतान मिलता है, न कि नियमित वेतन। इन श्रमिकों के पास कोई स्थायी रोजगार अनुबंध नहीं होता और वे खुद के बॉस की तरह काम करते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक सुरक्षा (जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन) जैसे लाभ नहीं मिलते। गिग वर्कर्स की चुनौतियाँ एवं मजबूरियां ज्यादा है, आय कम। आय की अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा लाभों (जैसे बीमारी, दुर्घटना, पेंशन) का अभाव, श्रम अधिक-भुगतान कम, कामकाजी घंटों और मजदूरी को लेकर अक्सर विवाद। गिग वर्कर्स गिग इकॉनमी का हिस्सा हैं, जहाँ वे अपनी मर्ज़ी से छोटे-छोटे, अस्थायी काम करके पैसे कमाते हैं, जो पारंपरिक 9-से-5 की नौकरी से अलग होता है। गिग वर्कर का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो आमतौर पर सेवा क्षेत्र में एक स्वतंत्र ठेकेदार या फ्रीलांसर के रूप में अस्थायी काम करता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है।

निस्संदेह, गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार सृजन की अपनी क्षमता दिखाई है। आज भारत में गिग-वर्कर्स की संख्या सवा करोड़ से अधिक है और अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या दो करोड़ पैंतीस लाख तक पहुँच सकती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बेरोजगारी के बढ़ते दौर में पढ़े-लिखे युवा इस व्यवस्था में 'विकल्प' के रूप में नहीं, बल्कि 'मजबूरी' में प्रवेश कर रहे हैं। जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, वहाँ शिक्षित युवाओं का अस्थायी, असुरक्षित और सम्मानहीन श्रम-व्यवस्था में फँसना न केवल चिंताजनक, बल्कि शर्मनाक भी है। यह स्थिति बताती है कि हमारी विकास-नीतियाँ रोजगार की गुणवत्ता पर नहीं, केवल संख्या पर केंद्रित हैं। गिग-वर्कर्स की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कंपनियाँ उनसे पूरा काम लेती हैं, लेकिन उन्हें पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के दायरे में स्वीकार नहीं करतीं। उन्हें 'स्वतंत्र कामगार' कहकर नियुक्ति, स्थायित्व, बीमा और न्यूनतम वेतन जैसी जिम्मेदारियों से बचा जाता है।

हायर एंड फायर की नीति, एल्गोरिदम आधारित नियंत्रण, रेटिंग सिस्टम और प्रोत्साहन के नाम पर लालच-ये सब मिलकर एक ऐसी अदृश्य जकड़न पैदा करते हैं, जिसमें श्रमिक स्वतंत्र दिखता है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह नियंत्रित होता है। हड़ताल के दौरान भी अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर या ऑर्डर बढ़ाकर श्रमिक एकता को कमजोर कर दिया जाता है। 31 दिसंबर को एक प्रमुख खाद्य वितरण कंपनी द्वारा रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किया जाना इसी विडंबना को उजागर करता है। हाल के दिनों में संसद में भी गिग-वर्कर्स के शोषण का मुद्दा उठा है। सांसद राघव चड्ढा और मनोज कुमार झा जैसे नेताओं ने इस वर्ग की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिलाया है। यह स्वागतयोग्य है, क्योंकि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में जब तक इन श्रमिकों की आवाज़ शामिल नहीं होगी, तब तक सुधार अधूरे रहेंगे।

भारत सरकार द्वारा हालिया श्रम सुधारों में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर कंपनियों के टर्नओवर का एक से दो प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान, आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर जैसी व्यवस्थाएँ एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रावधान वास्तव में गिग-वर्कर्स के जीवन में ठोस बदलाव ला पाएँगे? या फिर ये केवल काग़ज़ी सुधार बनकर रह जाएँगे? जब तक न्यूनतम आय, कार्य-घंटों की सीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती, तब तक इन सुधारों को परिवर्तनकारी नहीं कहा जा सकता।

31 दिसंबर की हड़ताल भले ही पूरी तरह सफल न रही हो, लेकिन वह नैतिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह जायज़ थी। यह हड़ताल व्यवस्था को बाधित करने से अधिक, व्यवस्था के भीतर छिपे अन्याय, शोषण की वृत्ति एवं दोगलेपन को उजागर करने का प्रयास थी। गिग-वर्कर्स ने यह संदेश दिया कि वे केवल 'डिलीवरी बॉय' नहीं, बल्कि श्रमशील नागरिक हैं, जिनके अधिकारों की अनदेखी अब और नहीं की जा सकती। निश्चित ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य गिग-वर्कर्स के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह ज़रूरी है कि नीति-निर्माता, कंपनियाँ और उपभोक्ता-तीनों अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करें। कंपनियों को लाभ के साथ जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी, सरकार को कानूनों का सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा और उपभोक्ताओं को सुविधा के साथ संवेदनशीलता भी अपनानी होगी। यदि हम गिग-वर्कर्स को केवल सुविधा का साधन मानते रहे और उन्हें सम्मान, सुरक्षा व स्थायित्व नहीं दिया, तो यह केवल श्रमिकों का नहीं, बल्कि हमारी विकास-कल्पना का भी संकट होगा। विकसित भारत, उन्नत भारत एवं समृद्ध भारत के नाम पर एक बदनुमा दाग होगा। डिजिटल भारत की असली परीक्षा यही है कि वह अपने सबसे तेज़ दौड़ने वाले श्रमिकों को कितना सुरक्षित और सम्मानित जीवन दे पाता है।

तेज़ी से फैलती ऑनलाइन सेवाओं की दुनिया में गिग-वर्कर्स की कार्य-सेवाओं को अब अनौपचारिक नहीं, बल्कि नियोजित, मान्यताप्राप्त और सम्मानजनक श्रम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उनकी मेहनत का उचित और सुनिश्चित भुगतान, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ और सामाजिक सुरक्षा कोई दया नहीं, बल्कि उनका अधिकार है, जिसमें सरकार को निर्णायक हस्तक्षेप करना ही होगा। मुनाफ़े की अंधी दौड़ में लगी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को यह समझना होगा कि श्रम केवल लागत नहीं, बल्कि व्यवस्था की आत्मा है; शोषण की मानसिकता छोड़कर संवेदनशीलता और जवाबदेही अपनाए बिना कोई भी डिजिटल विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। यदि गिग-वर्क को गरिमा, सुरक्षा और स्थायित्व के साथ विकसित किया जाए, तो यही सेवाएँ मजबूरी का प्रतीक नहीं, बल्कि रोज़गार की एक आदर्श और मानवीय व्यवस्था बन सकती हैं, जहाँ सुविधा केवल उपभोक्ता को नहीं, सम्मान कामगार को भी मिले।

प्रेरणा

जब भूखे बच्चों में बाँट दिया अपना भोजन: स्वामी विवेकानन्द

अमेरिकी प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानन्द का जीवन केवल भाषणों और विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका प्रत्येक दिन करुणा, सेवा और त्याग की जीवंत मिसाल था। विश्व धर्म महासभा के बाद वे अमेरिका में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते, लोगों से मिलते, संवाद करते और अपने विचारों से मानवता को एक नई दृष्टि देते थे। ऐसे ही एक दिन, लगातार यात्राओं और भाषणों की थकान के बाद वे अपने निवास स्थान पर लौटे थे। साधारण जीवन उनका स्वभाव था। उन दिनों वे अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करते थे। किसी प्रकार का दिखावा या विशेष व्यवस्था उनके जीवन का हिस्सा नहीं थी। सादगी, आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम उनके व्यक्तित्व के मूल तत्व थे। उस दिन भी स्वामी विवेकानन्द अपने हाथों से भोजन बना रहे थे। थोड़ी सी रोटियां और साधारण भोजन तैयार हुआ। वे भोजन करने ही वाले थे कि कुछ छोटे-छोटे बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे भूख से उतरे हुए थे, आँखों में मासूमियत थी और शरीर दुर्बलता का संकेत दे रहा था। स्वामी जी का व्यक्तित्व बच्चों को विशेष रूप से आकर्षित करता था। उनके चेहरे पर सदा करुणा, वात्सल्य और अपनापन झलकता था। इसी कारण बच्चे अक्सर उनके पास चले आते थे, बिना किसी भय और संकोच के। उन बच्चों को देखकर स्वामी जी को क्षण भर भी विचार नहीं करना पड़ा। उन्होंने अपना पूरा भोजन उन बच्चों में बाँट दिया। वहीं पास में बैठी एक महिला यह दृश्य देख रही थी। वह इस त्याग को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसके लिए यह समझ पाना कठिन था कि कोई व्यक्ति अपने हिस्से का पूरा भोजन दूसरों को कैसे दे सकता है। उसने स्वामी जी से पूछा, "आपने अपनी सारी रोटियां तो इन बच्चों को दे दीं, अब आप क्या खाएंगे?" यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं था, बल्कि उस मानसिकता का प्रतीक था, जिसमें पहले स्वयं के बारे में सोचना स्वाभाविक माना जाता है। स्वामी विवेकानन्द ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, "माता! रोटी तो केवल पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। यदि इस पेट में न सही, तो उनके पेट में ही सही। आखिर ये सब भगवान के अंश ही तो हैं। देने का आनंद, पाने के आनंद से बहुत बड़ा है।"

यह उत्तर केवल शब्द नहीं थे, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सार थे। स्वामी विवेकानन्द के लिए भूख केवल शारीरिक समस्या नहीं थी, बल्कि मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रश्न थी। उनके अनुसार, जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति भूखा है, तब तक किसी का पेट भरना अधूरा है। उनका यह दृष्टिकोण अद्वैत वेदांत की उसी भावना से उपजा था, जिसमें समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा का वास माना गया है। यदि सभी में वही आत्मा है, तो दूसरे की पीड़ा अपनी ही पीड़ा है और दूसरे की तृप्ति अपनी ही तृप्ति। आज के भौतिकवादी युग में, जहाँ पाने की होड़ लगी हुई है, यह घटना हमें गहरे आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक समाज में सुख का माप अधिकतर इस बात से लगाया जाता है कि हमारे पास कितना है, हमने कितना जमा कर लिया है, और हम दूसरों से कितने आगे निकल गए हैं। लेकिन स्वामी विवेकानन्द का जीवन यह सिखाता है कि वास्तविक सुख जमा करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। जो दिया गया, वही वास्तव में हमारा है। जो केवल अपने लिए रखा गया, वह एक दिन नष्ट हो जाता है। देने का आनंद केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं होता। यह समय देने, प्रेम देने, सहानुभूति देने और सम्मान देने में भी निहित होता है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा की किरण दिखाते हैं, तब जो संतोष हमें मिलता है, वह किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। स्वामी विवेकानन्द का यह छोटा सा कार्य उनके महान विचारों का व्यावहारिक रूप था। उन्होंने अपने आचरण से सिद्ध किया कि अध्यात्म केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है।

उस महिला के लिए भी यह घटना जीवन बदलने वाला अनुभव रही होगी। संभव है कि उसने पहली बार यह महसूस किया हो कि मनुष्य की महानता उसके पास मौजूद वस्तुओं से नहीं, बल्कि उसके त्याग से मापी जाती है। बच्चे उस भोजन से केवल शारीरिक तृप्ति ही नहीं पाए होंगे, बल्कि उन्हें यह अनुभूति भी मिली होगी कि इस दुनिया में कोई है, जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी परवाह करता है। यही अनुभूति किसी भी बच्चे के मन में आत्मविश्वास और मानवता के प्रति विश्वास जगाने के लिए पर्याप्त होती है। स्वामी विवेकानन्द के जीवन में ऐसे असंख्य प्रसंग मिलते हैं, जहाँ उन्होंने अपने विचारों को कर्म में ढाला। उन्होंने हमेशा कहा कि धर्म का पहला पाठ भूखे को भोजन देना है। उनके लिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा थी। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर से अधिक पवित्र उनके लिए वह स्थान था, जहाँ किसी जरूरतमंद की पीड़ा दूर की जा रही हो। यही कारण है कि वे आज भी केवल एक संन्यासी या विचारक के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी के रूप में स्मरण किए जाते हैं।

आज जब समाज में असमानता बढ़ रही है, संवेदनशीलता कम होती जा रही है और मनुष्य मनुष्य से दूर होता जा रहा है, तब "देने का आनंद" जैसी घटनाएँ हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। यह हमें याद दिलाती हैं कि मनुष्य होने का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं, तब ही हमारा जीवन सार्थक होता है।

स्वामी विवेकानन्द का यह कथन कि "देने का आनंद, पाने के आनंद से बहुत बड़ा है," केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। पाने का आनंद क्षणिक होता है, वह जल्दी ही समाप्त हो जाता है और फिर और पाने की लालसा जन्म ले लेती है। लेकिन देने का आनंद स्थायी होता है। वह आत्मा को तृप्त करता है, अहंकार को गलाता है और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। यही आनंद जीवन को अर्थ देता है और समाज को मानवता की ओर ले जाता है।

इन्दौर की जल-त्रासदी और प्रशासनिक लापरवाही का नंगा चेहरा

स्वच्छता रैंकिंग में लगातार टॉप पर आने वाले इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से हुई मौतें कथनी और करनी की असमानता की पौल खोलती भयावह लापरवाही का नतीजा हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप बेहद गंभीर है कि पानी की क्वॉलिटी को लेकर लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और दुर्भाग्य से इतनी बड़ी वारदात के बाद भी अदालत को दखल देकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का आदेश देना पड़ रहा है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं है और न ही इसे तकनीकी खामी कहकर टाला जा सकता है। यह घटना उस व्यवस्था का क्रूर और नंगा सच है, जो स्वच्छता के तमगों से सजी हुई है लेकिन भीतर से सड़ चुकी है। जिस शहर को लगातार सात वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता रहा, वहीं दूषित पेयजल के कारण पंद्रह निर्दोष लोगों की मौत हो जाना पूरे तंत्र पर एक गहरा प्रश्नचिह्न है। यह त्रासदी साबित करती है कि चमकदार रैंकिंग और पुरस्कार जीवन की वास्तविक सुरक्षा का विकल्प नहीं हो सकते। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में सीवर का पानी मिल गया, जिससे हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। सौ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए, सैकड़ों बीमार पड़े और अनेक परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। सभ्य समाज में यह कल्पना ही आत्मग्लानि से भर देने वाली है कि जिस पानी को जीवनदायिनी मानकर पिया गया, वही सीवर की गंदगी से मिला हुआ था। सबसे अधिक पीड़ादायक तथ्य यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। नागरिकों ने पहले ही दूषित पानी की शिकायतें की थीं। पानी के रंग, गंध और स्वाद में बदलाव की जानकारी दी गई थी, लेकिन नगर निगम, जलप्रदाय विभाग और स्वास्थ्य तंत्र कुंभकर्णी नींद में सोए रहे। प्रशासन तब हरकत में आया जब मौतें हो चुकी थीं। यह लापरवाही नहीं, बल्कि गहरी संस्थागत असंवेदनशीलता, क्रूरता एवं अमानवीयता है। यह उस प्रशासनिक संस्कृति का परिणाम है जिसमें फाइलें और औपचारिकताएं मानव जीवन से अधिक मूल्यवान हो गई हैं। सवाल यह नहीं है कि पानी में सीवर कैसे मिला, असली सवाल यह है कि चेतावनियों के बावजूद इसे रोका क्यों नहीं गया? हर बार की तरह इस बार भी जांच समितियां बनीं, मुआवजे की घोषणाएं हुईं और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। भले ही अपर नगर आयुक्त को इंदौर से हटा दिया है और प्रभारी अधीक्षण अभियंता से जिम्मेदारी वापस ले ली है। लेकिन, क्या इतना काफी है? इस तरह की 'रूटीन' कार्रवाई जिम्मेदारों को सबक नहीं देतीं, बल्कि पीड़ितों का मजाक बनाती हैं। क्या इन दिखावे की कार्रवाइयों से मृतकों का प्रायश्चित हो गया? क्या इससे भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेंगी? सच्चाई यह है कि जांच समितियां अब जवाबदेही तय करने का नहीं, बल्कि मामले को ठंडा करने का माध्यम बन चुकी हैं। इस दुखद घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी ने लोगों के घावों को और गहरा किया। जिस क्षेत्र में यह त्रासदी घटी, उसके प्रतिनिधि और राज्य के नगरीय विकास मंत्री, जिनके अधीन पेयजल आपूर्ति का विभाग आता है, उनकी असंवेदनशील टिप्पणियों ने जनता के आक्रोश को बढ़ाया। बाद में खेद प्रकट किया गया, लेकिन सवाल यह है कि खेद से क्या उन परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया? यह सही है कि उमा भारती जैसी वरिष्ठ नेत्री ने दोषियों से प्रायश्चित और दंड की मांग की, लेकिन देश का अनुभव बताता है कि ऐसी मांगें अक्सर समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार का खूब प्रचार किया जाता है, लेकिन इंदौर की घटना ने दिखा दिया कि यदि व्यवस्था की पटरियां जर्जर हों, तो इंजन कितने भी हों, दुर्घटना तय है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार, क्रियान्वयन और रूपांतरण की बात कही थी और जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रणालियों को अधिक अनुकूल बनाने पर जोर दिया था। लेकिन जब नागरिकों को स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वस्थ चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं ही सुरक्षित रूप से उपलब्ध न हों, तो जीवनयापन को सुगम बनाने की बात खोखली लगती है। सर्वोच्च न्यायालय बार-बार स्पष्ट कर चुका है कि स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित जल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इंदौर की यह त्रासदी इस अधिकार का खुला उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पानी में जहरीला पदार्थ मिलाए और उससे लोगों की मौत हो जाए, तो वह गंभीर अपराध माना जाता है। फिर जब प्रशासन की लापरवाही से जहरीला पानी घर-घर पहुंचता है और लोगों की जान जाती है, तो उसे अपराध क्यों नहीं माना जाए? यह गैर-इरादतन हत्या से कम गंभीर मामला नहीं है। इंदौर की घटना यह भी उजागर करती है कि स्वच्छता रैंकिंग, स्मार्ट सिटी के दावे और चमकदार प्रचार व्यवस्थागत नाकामी को छिपा नहीं सकते। सड़कें साफ हो सकती हैं, दीवारें रंगी जा सकती हैं, लेकिन यदि पाइपलाइनों के भीतर जहर बह रहा है, तो ऐसा विकास जनता के साथ छल है। यह समस्या केवल इंदौर तक सीमित नहीं है। देश के अनेक छोटे-बड़े शहरों में जर्जर पाइपलाइनें, अवैज्ञानिक सीवर व्यवस्था और भ्रष्ट ठेकेदारी तंत्र वर्षों से नागरिकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं हैजा फैलता है, कहीं पीलिया, कहीं दस्त और संक्रमण, लेकिन हर बार इसे स्थानीय समस्या कहकर टाल दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इंदौर की पंद्रह मौतें भी प्रशासन को जगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं? क्यों नहीं ऐसी घटनाओं को आधार बनाकर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का बुलडोजर चलाया जाता? आज जब अवैध निर्माणों और गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चल सकता है, तो प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं? क्यों उन अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं होते, जिनकी अनदेखी से लोगों की जान चली जाती है? क्यों सेवा से बर्खास्तगी और जेल की सजा जैसे कठोर कदम नहीं उठाए जाते?

अभियान

माता कुंती का जीवन, रहस्य और अग्नि में विलीन होती अंतिम कथा

महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मानव जीवन के हर भाव, हर संघर्ष और हर त्याग का दर्पण है। इस महागाथा में जहां भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन जैसे योद्धाओं की वीरता दिखाई देती है, वहीं कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनका युद्ध मौन था, पर उससे कहीं अधिक गहरा और पीड़ादायक। माता कुंती उन्हीं मौन योद्धाओं में से एक थीं। वे केवल पांडवों की माता नहीं थीं, बल्कि त्याग, धैर्य, विवेक और वैराग्य की जीवंत प्रतिमूर्ति थीं। उनका जीवन आरंभ से अंत तक संघर्षों से भरा रहा और उनकी मृत्यु भी साधारण नहीं, बल्कि अत्यंत करुण और आध्यात्मिक थी।

माता कुंती का जन्म स्वयं में एक रहस्य और दिव्यता समेटे हुए था। उनका वास्तविक नाम पृथा था। वे यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थीं, लेकिन बाल्यावस्था में ही उन्हें राजा कुंतीभोज ने गोद ले लिया। यहीं से वे कुंती कहलाईं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुंती कोई साधारण स्त्री नहीं थीं। महाभारत और कई पुराणों में उन्हें देवी 'सिद्धि' का अंश माना गया है। सिद्धि को सफलता, सामर्थ्य और आध्यात्मिक पूर्णता की देवी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में कुंती को 'मति', अर्थात् दिव्य बुद्धि का अवतार भी बताया गया है। यही कारण था कि उनके जीवन के निर्णय असाधारण रूप से कठिन होते हुए भी धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए।

कुंती के जीवन में ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया मंत्र एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस मंत्र के प्रभाव से वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसे साधना और संयम से ही सिद्ध किया जा सकता था। इसी मंत्र के माध्यम से सूर्यदेव के आह्वान से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण को त्यागने का निर्णय कुंती के जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था, लेकिन उन्होंने यह निर्णय भी सामाजिक मर्यादा और भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए लिया। यही वह क्षण था, जिसने उनके हृदय में आजीवन एक मौन वेदना भर दी।

पांडु से विवाह के बाद कुंती का जीवन और भी अधिक कठिन हो गया। पति के शाप और नियति के खेल के कारण उन्होंने देवताओं के माध्यम से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने केवल उन्हें जन्म ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें धर्म, संयम और कर्तव्य का पाठ भी पढ़ाया। पांडवों के जीवन में जितना संघर्ष था, उतनी ही गहरी उसमें कुंती की भूमिका भी थी। लाक्षागृह की साजिश, वनवास, दर-दर की ठोकरें, द्रौपदी का अपमान—इन सभी घटनाओं में कुंती भीतर ही भीतर टूटती रहीं, लेकिन बाहर से उन्होंने अपने पुत्रों को कभी कमजोर नहीं होने दिया।

महाभारत युद्ध से पूर्व कुंती का कर्ण से मिलना उनके जीवन का सबसे मार्मिक प्रसंग है। उन्होंने कर्ण को उसका वास्तविक परिचय दिया, मां होने का अधिकार जताया, लेकिन साथ ही धर्म को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कर्ण से युद्ध से हटने की याचना नहीं की, बल्कि केवल इतना कहा कि वह धर्म का साथ दे। यह त्याग और कर्तव्य का ऐसा अद्भुत संतुलन था, जो केवल कुंती जैसी आत्मा ही साध सकती थी।

महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कौरव वंश का अंत हो गया। विजय पांडवों की हुई, लेकिन यह विजय रक्त, आँसू और पश्चाताप से भरी थी। युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर के राजा बने, तब माता कुंती राजमहल में रहीं। उन्होंने न केवल अपने पुत्रों और वधुओं का मार्गदर्शन किया, बल्कि धृतराष्ट्र और गांधारी की भी सेवा की। गांधारी, जिन्होंने अपने सौ पुत्रों को खो दिया था, उनके प्रति भी कुंती के मन में कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने अपने जीवन के इस चरण में भी करुणा को धर्म का आधार बनाए रखा। समय के साथ माता कुंती के मन में संसार के प्रति वैराग्य और गहरा होता गया। जिन पुत्रों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था, वे अब सुरक्षित थे, सत्ता में थे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। कुंती को अब राजमहल, वैभव और संबंधों में कोई आकर्षण नहीं रहा। इसी समय धृतराष्ट्र और गांधारी ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल वन जाने का नहीं था, बल्कि सांसारिक जीवन से धीरे-धीरे मुक्त होकर आत्मा की अंतिम यात्रा की तैयारी का था। माता कुंती ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने मोह के अंतिम बंधन को भी स्वयं काट दिया। वन में कुंती का जीवन तपस्या, संयम और आत्मचिंतन से भरा था। जो स्त्री कभी राजमहलों में रही थी, उसने कंद-मूल और फल पर जीवन बिताना स्वीकार किया। उन्होंने अपने अतीत पर विलाप नहीं किया, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की तैयारी में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनके लिए यह वनवास किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर बढ़ता हुआ मार्ग था।

माता कुंती की मृत्यु महाभारत की सबसे हृदयविदारक घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक दिन वन में अचानक भीषण अग्नि फैल गई। कहा जाता है कि उस समय धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें अपने शरीर की सुध ही नहीं रही। वे न भागे, न बचने का प्रयास किया। अग्नि ने उनके नश्वर शरीर को भस्म कर दिया। यह मृत्यु साधारण नहीं थी। शास्त्रों में माना जाता है कि जो व्यक्ति तपस्या और वैराग्य की अवस्था में देह त्याग करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।

धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती—तीनों को इस अग्नि में देह त्याग के साथ मोक्ष प्राप्त हुआ। माना जाता है कि माता कुंती को मृत्यु के बाद श्रीकृष्ण ने अपने धाम में स्थान दिया। यह उसी कुंती के लिए था, जिसने जीवन भर कृष्ण को केवल भगवान नहीं, बल्कि सखा, मार्गदर्शक और आश्रय के रूप में देखा। कुंती की प्रसिद्ध प्रार्थना, जिसमें वे कृष्ण से दुःख मांगती हैं ताकि उन्हें ईश्वर का स्मरण बना रहे, उनके अद्वितीय आध्यात्मिक स्तर को दर्शाती है।

माता कुंती का जीवन हमें यह सिखाता है कि दुख और संघर्ष जीवन के शत्रु नहीं, बल्कि आत्मा को परिष्कृत करने के साधन हैं। उन्होंने कभी अपने कष्टों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनका संपूर्ण जीवन यह संदेश देता है कि कर्तव्य, करुणा और वैराग्य का संतुलन ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। उनकी मृत्यु भले ही अग्नि में हुई हो, लेकिन वह अग्नि विनाश की नहीं, शुद्धि और मुक्ति की अग्नि थी। माता कुंती की कथा आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची विजय युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि जीवन को धर्म और त्याग के साथ जीने में है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

भारत के कुल सिरेमिक निर्यात में 90% हिस्सेदारी के साथ मोरबी बना भारत की 'सिरेमिक राजधानी'

▸▸ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ सौराष्ट्र में मोरबी सिरेमिक क्लस्टर को विशेष जोन के रूप में पेश किया जाएगा

▸▸ 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार देता है मोरबी का सिरेमिक उद्योग

▸▸ पॉलीपैक इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी मोरबी बन सकता है गुजरात का अग्रणी जिला

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में गुजरात वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ-सौराष्ट्र के दूसरे संस्करण के लिए तैयार हो रहा है। 11 एवं 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस कच्छ एवं सौराष्ट्र के हिस्से के रूप में राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सिरेमिक उद्योग का अगुवा, गुजरात का मोरबी जिला आज भारत की सिरेमिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ बन गया है। गुजरात के कुल सिरेमिक उत्पादन में अकेले लगभग 90 फीसदी हिस्सेदारी के साथ मोरबी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक उत्पादन केंद्र है।

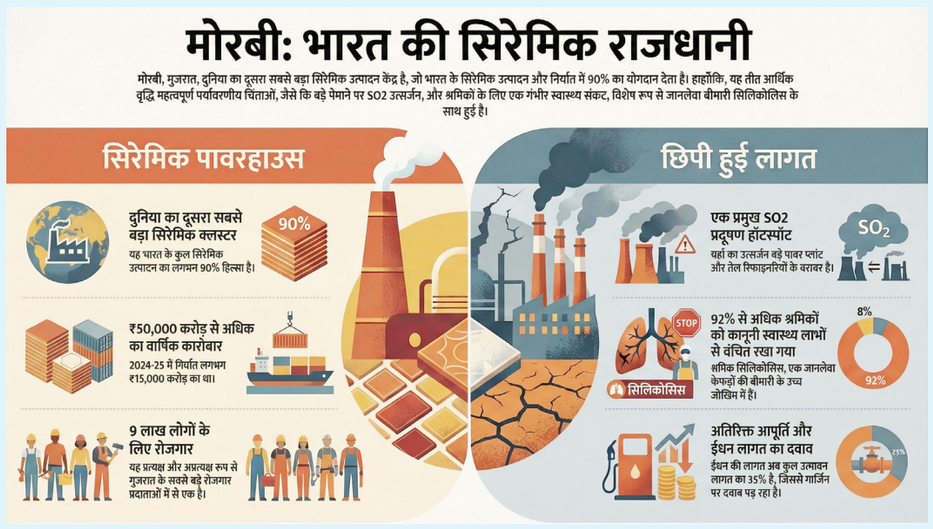

कुम्हार के चाक से वैश्विक सिरेमिक हब तक : मोरबी की उद्योग गाथा

मोरबी आज देश और दुनिया में सिरेमिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। शुरुआत में यहां पारंपरिक तरीके से मिट्टी के मटके, दीये, खपरैल और घरेलू मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। स्थानीय मिट्टी की गुणवत्ता और कारीगरों की कुशलता ने मोरबी के उत्पादों को एक नई पहचान दी। बाद में, वॉल क्लॉक (दीवार घड़ी) उद्योग की शुरुआत हुई। समय के साथ-साथ, 1970-80 के दशक में रूफ टाइल्स और ग्लेज्ड टाइल्स का उत्पादन शुरू हुआ और धीरे-धीरे मोरबी आधुनिक सिरेमिक उद्योग की दिशा में आगे बढ़ा। नई टेक्नोलॉजी, उन्नत मशीनरी और उद्यमिता के दृष्टिकोण ने इस शहर को सिरेमिक उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दी। आज मोरबी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और विट्रिफाइड टाइल्स के उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। मोरबी का सिरेमिक सफर परंपरा से प्रगति की ओर बढ़ने का बेजोड़ उदाहरण बन गया है।

गुजरात का मोरबी जिला बना भारत का सिरेमिक हब

इस वर्ष राजकोट में आयोजित होने वाली दूसरी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ-सौराष्ट्र में मोरबी के सिरेमिक क्लस्टर की एक विशेष प्रदर्शनी होगी, जिसमें 'अद्यतन सिरेमिक्स', 'वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स', 'एनर्जी-एफिशिएंट टेक्नोलॉजी' और नए 'सिरेमिक पार्क' की प्रगति मुख्य आकर्षण होंगे। राज्य सरकार उद्योगों के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट रिसाइकिलिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। मोरबी के उद्यमियों के परिश्रम, सरकार की प्रभावी नीतियों और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज मोरबी भारत की 'सिरेमिक राजधानी' बन गया है।

गत दो वर्षों के दौरान लाभार्थियों को मिला विभिन्न सरकारी सहायता योजना का लाभ

मोरबी जिले में गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं के तहत व्यापक और प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जो जिले के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध हो रही है। राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग 2200 से अधिक लाभार्थियों को सीधे 115 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुंचाई गई है। इस सहायता से मोरबी जिले के नागरिकों को स्वरोजगार, उद्योग, जीवन स्तर में सुधार और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने के नए अवसर मिले हैं, जो राज्य सरकार की जनकल्याण की प्रतिबद्धता और सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।

मोरबी का सिरेमिक उद्योग लगभग 9 लाख लोगों को देता है रोजगार

मोरबी जिले का सिरेमिक क्लस्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक उत्पादों का उत्पादन करने वाला क्लस्टर है। मोरबी जिले में लगभग 1200 सिरेमिक इकाइयां हैं, जिनका कुल सालाना उत्पादन लगभग 60 लाख टन है। ये इकाइयां करीब 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती हैं।

भारत के कुल सिरेमिक निर्यात में लगभग 80 से 90 फीसदी का योगदान

मोरबी का सिरेमिक उद्योग वैश्विक बाजार में गुजरात तथा भारत की मजबूत पहचान बन रहा है। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2024-25 के दौरान मोरबी से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। खास बात यह है कि अकेला मोरबी भारत के कुल सिरेमिक निर्यात में 80 से 90 फीसदी का योगदान देता है। यहां बनाए जाने वाले उच्च गुणवत्ता के सिरेमिक टाइल्स और संबंधित उत्पादों को मुख्य रूप से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ओमान और श्रीलंका जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, जो मोरबी की वैश्विक विश्वसनीयता और 'मेड इन इंडिया-मेड इन गुजरात' ब्रांड की मजबूत स्थिति को साफ तौर पर उजागर करता है।

भारत के वॉल क्लॉक उत्पादन में मोरबी जिले की बड़ी हिस्सेदारी

सिरेमिक तथा पॉलीपैक के जैसे ही वॉल क्लॉक और गिफ्ट आर्टिकल उद्योग भी मोरबी में बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। भारत के वॉल क्लॉक उत्पादन में मोरबी जिले के वॉल क्लॉक तथा गिफ्ट आर्टिकल उद्योग की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। मोरबी जिले में वॉल क्लॉक की लगभग 150 से 200 इकाइयां हैं। ये उद्योग करीब 10 से 12 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार प्रदान करते हैं, जिनमें से 60 फीसदी महिलाएं हैं।

पॉलीपैक उद्योग के क्षेत्र में भी मोरबी बन सकता है राज्य का अग्रणी जिला

गुजरात का मोरबी जिला सिरामिक क्षेत्र की तरह ही पॉलीपैक उद्योग के क्षेत्र में भी निकट भविष्य में राज्य का एक अग्रणी जिला बन सकता है। अभी मोरबी जिले में पीपी (पॉलीप्रोपाइलिन) वूवन प्रोडक्ट की कुल 150 इकाइयां कार्यरत हैं। मोरबी का पॉलीपैक उद्योग अभी सालाना लगभग 5 लाख मीट्रिक टन पीपी वूवन फैब्रिक का उत्पादन करता है, जिसका कुल सालाना टर्नओवर लगभग 5500 करोड़ रुपए है। पॉलीपैक उद्योग आज मोरबी के लगभग 25 से 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन में 6वीं लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली–बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य के संबंध में 20/21 दिसम्बर, 2025 की रात्रि से 18 जनवरी, 2026 तक कुल 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेन सेवाएँ प्रभावित रहेंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 06/07 जनवरी, 2026 की रात्रि में कांदिवली पर अप फास्ट लाइन पर प्वाइंट संख्या 103 के इन्सर्शन हेतु एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप फास्ट लाइन पर 00:00 बजे से 05:30 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक रहेगा।

उपर्युक्त ब्लॉकों एवं 5वीं लाइन के निलंबन के कारण कुछ उपनगरीय ट्रेन सेवाएँ निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को रेगुलेट किया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण प्रभावित ट्रेनों की विस्तृत सूची अनुलग्नक–I एवं II में दी गई है।

पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से दिसम्बर, 2025 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों से प्राप्त किया 155 करोड़ से अधिक का जुर्माना

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे पर निर्बाध, आरामदायक यात्रा एवं बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी बोनाफाइड यात्रियों को मुंबई उपनगरीय, मेल/एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनों तथा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में निरंतर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बिना टिकट/अनियमित यात्रा की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों की निगरानी में कार्यरत हाई मोटिवेटेड टिकट चेकिंग टीम द्वारा अप्रैल से दिसम्बर 2025 की अवधि के दौरान अनेक टिकट चेकिंग अभियान आयोजित किए गए। इसके परिणामस्वरूप 155.46 करोड़ की राशि की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 49% अधिक है। इस राशि में मुंबई उपनगरीय खंड से 41.26 करोड़ की वसूली भी शामिल है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केवल दिसम्बर माह में ही बिना टिकट/अनियमित यात्रियों, जिनमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं, 2.51 लाख मामलों की पहचान के

माध्यम से 15.54 करोड़ की राशि वसूल की गई, जो पिछले वर्ष के दिसम्बर माह की तुलना में लगभग 42% अधिक है। इसके अलावा, दिसम्बर 2025 के दौरान पश्चिम रेलवे ने 92 हजार मामलों की पहचान के माध्यम से 3.95 करोड़ की जुर्माना राशि प्राप्त की। एसी लोकल ट्रेनों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए नियमित रूप से औचक टिकट चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। एसी लोकल ट्रेनों में केंद्रित टिकट चेकिंग अभियानों के परिणामस्वरूप अप्रैल से दिसम्बर 2025 की अवधि के दौरान लगभग 91 हजार अनधिकृत यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया तथा 2.97 करोड़ की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 97% अधिक है। इस प्रकार के उल्लेखनीय परिणाम अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाने, यात्री अनुभव को बेहतर बनाने तथा सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता एवं समर्पण को दर्शाते हैं। पश्चिम रेलवे आम जनता से अपील करती है कि कृपया उचित एवं वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें।

अहमदाबाद मंडल ने रेलवे परिसर में थूकने एवं गंदगी फैलाने वाले यात्रियों/लोगों के विरुद्ध की सख्त कार्रवाई

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 198 के अंतर्गत रेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने एवं यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के दौरान सघन अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत रेलवे परिसर में थूकने एवं गंदगी फैलाने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए वर्ष 2025-26 में अभी तक कुल 2330 मामलों में कार्रवाई की गई, जिनसे 5,05,707/- का जुर्माना वसूला गया। दिसंबर 2025 के दौरान ही 250 मामलों में कार्रवाई करते हुए 59,100/- का जुर्माना वसूल किया गया। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में गंदगी न फैलाएं तथा स्वच्छता नियमों का पालन करें। स्वच्छ रेलवे, सुरक्षित रेलवे के निर्माण में सभी का सहयोग आवश्यक है।

पीयूष गोयल ब्रुसेल्स जाएंगे, अंतिम चरण में भारत-ईयू व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने की तैयारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस हफ्ते ब्रुसेल्स का दौरा करेंगे, जहां वे यूरोपीय संघ (ईयू) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत-ईयू प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर अंतिम चरण की वार्ता को अंतिम रूप देंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक व्यापार पर तनाव बढ़ रहे हैं और अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी जारी की है।

सूत्रों के अनुसार, पीयूष गोयल मंगलवार रात को ब्रुसेल्स के लिए रवाना होंगे। 8 और 9 जनवरी को वे ईयू के कार्यकारी उपाध्यक्ष और यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत और ईयू के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को लेकर गहन चर्चा होगी। गोयल की यह यात्रा भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के व्यापार संबंधों को मजबूत करना और औपचारिक समझौतों को अंतिम रूप देना है।

इस यात्रा से पहले गोयल लिकटेंस्टीन में भी रुकेंगे, जहां वे व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। लिकटेंस्टीन यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) का सदस्य है और भारत-ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। ईएफटीए में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। भारत-ईएफटीए FTA ने पहले ही भारत के लिए यूरोपीय देशों में व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वाणिज्य मंत्री के साथ इस यात्रा में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भी रहेंगे। दोनों अधिकारी ईयू अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक करेंगे, जिसमें भारत-ईयू FTA के बकाया मुद्दों, टैरिफ और बाजार पहुंच, सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरे का उद्देश्य समझौते के सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर अंतिम सहमति प्राप्त करना है, ताकि इसे शीघ्र ही लागू किया जा सके।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत-ईयू व्यापार समझौता भारत के निर्यातकों और निवेशकों के लिए नए अवसर खोल सकता है। यह समझौता न केवल औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में आसानी लाएगा, बल्कि कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्रों में भी दोनों पक्षों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। ईयू के बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए यह अवसर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

इससे पहले, भारत और ईयू के बीच समझौते की बातचीत कई चरणों में हुई है। दोनों पक्षों ने टैरिफ कटौती, व्यापार बाधाओं को कम करने, सेवा क्षेत्र में निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की है। अब यह अंतिम चरण की वार्ता है, जिसमें तकनीकी और कानूनी बारीकियों पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा।

गोयल की ब्रुसेल्स यात्रा के दौरान यह भी चर्चा होगी कि भारत-ईयू समझौते को वैश्विक व्यापार मानकों और नियमों के अनुरूप कैसे बनाया जाए। इससे न केवल भारत के निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। साथ ही यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक सहयोग को दीर्घकालिक और स्थायी बनाने में मदद करेगा।

भारत-ईयू FTA के अंतिम रूप लेने के बाद यह दोनों आर्थिक महाशक्तियों के बीच सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार सृजन, तकनीकी विकास और औद्योगिक निवेश में भी सहायक होगा। इस समझौते के लागू होने से भारत की आर्थिक वृद्धि दर को भी समर्थन मिलेगा और देश के वैश्विक व्यापार नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।

कुल मिलाकर, पीयूष गोयल का ब्रुसेल्स दौरा भारत-ईयू व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर में एनसीसी के योगदान को सराहा, कहा– देश निर्माण में युवाओं की भूमिका अमूल्य

(जीएनएस)। नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर और विभिन्न आपदा राहत अभियानों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेट्स द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में एनसीसी कैडेट्स ने जिस समर्पण, अनुशासन और सेवा-भाव का परिचय दिया है, वह पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है।

उपराष्ट्रपति सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह शिविर केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की "विविधता में एकता" का जीवंत उदाहरण है। देश के कोने-कोने से आए कैडेट्स यहां एक साथ रहते, सीखते और आगे बढ़ते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों की मजबूत नींव तैयार होती है। सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने प्रशासन और सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने

राहत कार्यों, जन-जागरूकता अभियानों और मानवीय सहायता में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि एनसीसी केवल एक प्रशिक्षण संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का मजबूत स्तंभ है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और अन्य आपात परिस्थितियों में एनसीसी कैडेट्स की तत्परता और निस्वार्थ सेवा भावना काबिले-तारीफ रही है। उन्होंने कहा कि जब देश मुश्किल दौर से गुजरता है, तब एनसीसी के प्रशिक्षित युवा सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं और समाज को संभालने में अहम भूमिका निभाते हैं।

अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने एनसीसी के ध्येय वाक्य "एकता और अनुशासन" पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, जो युवाओं को आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक बनने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। एनसीसी के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध विकसित होता है।

उन्होंने यह भी कहा कि आज का एनसीसी कैडेट ही कल का सैनिक, प्रशासक, शिक्षक, वैज्ञानिक या समाजसेवी बनेगा। ऐसे में एनसीसी का प्रशिक्षण देश के भविष्य के नेतृत्व को गढ़ने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कैडेट्स से अपील की कि वे अपने जीवन में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा की भावना को हमेशा प्राथमिकता दें।

एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में देशभर से आए कैडेट्स, वरिष्ठ अधिकारी और प्रशिक्षक मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने शिविर की व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रशिक्षण गतिविधियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह शिविर न केवल अनुशासन और प्रशिक्षण का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का भी माध्यम है।

कार्यक्रम के अंत में उपराष्ट्रपति ने एनसीसी कैडेट्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को उन पर गर्व है। उन्होंने विश्वास जताया कि एनसीसी के युवा आगे भी हर चुनौती में देश के साथ खड़े रहेंगे और भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर में 2.1 मिलियन टन बिक्री के साथ बनाया रिकॉर्ड

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख इस्पात निर्माता कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने दिसंबर 2025 में 2.1 मिलियन टन की बिक्री दर्ज कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह दिसंबर 2024 में 1.5 मिलियन टन की बिक्री की तुलना में लगभग 37 प्रतिशत अधिक है, और इसे कंपनी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक प्रदर्शन माना जा रहा है। इस उपलब्धि से यह स्पष्ट हुआ है कि सेल ने लगातार सुधार, ग्राहक-केंद्रित पहलों और परिचालन उत्कृष्टता के जरिए न केवल भारत में अग्रणी इस्पात निर्माता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया है। कंपनी ने बताया कि इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के पीछे कई कारक हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण ग्राहकों को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना और उत्पादों की विविध श्रेणियों में नए मानक स्थापित करना रहा। इसके अलावा, दिसंबर माह में इन्वेंट्री में भी महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई, जिससे उत्पादन और

वितरण प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि हुई। यह मासिक बिक्री का रिकॉर्ड वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी की विकास गति को बनाए रखने में भी सहायक साबित हुआ है। सेल ने अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान कुल 14.7 मिलियन टन बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 12.6 मिलियन टन की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि में घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। निर्यात में हुई यह बढ़ोतरी कंपनी की वैश्विक स्तर पर बढ़ती उपस्थिति और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रतीक है।

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि सेल की रणनीतिक पहल, उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में कंपनी और अधिक उन्नत तकनीकों, नए उत्पाद और वैश्विक बाजार में विस्तार की दिशा में काम कर रही है, जिससे इस्पात उद्योग में अपनी अग्रणी स्थिति और मजबूत होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि सेल का यह प्रदर्शन भारतीय इस्पात उद्योग की क्षमता और स्थिरता को दर्शाता है। वैश्विक बाजार में इस्पात की मांग बढ़ रही है और कंपनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात नेटवर्क में निरंतर सुधार से यह स्थिति और बेहतर होगी। इसके साथ ही, घरेलू निर्माण, बुनियादी ढांचा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस्पात की बढ़ती मांग भी सेल की बिक्री और विकास में सहायक होगी।

कुल मिलाकर, दिसंबर 2025 में 2.1 मिलियन टन की बिक्री न केवल सेल के लिए बल्कि पूरे भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि सही रणनीति, कुशल संचालन और ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल बिक्री बढ़ाई जा सकती है, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी मजबूत स्थिति बनाई जा सकती है। भविष्य में, सेल की यह दिशा कंपनी के लिए और अधिक स्थायी विकास और वैश्विक पहचान सुनिश्चित करेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी ने राजकोट में सौराष्ट्र कच्छ के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ संवाद किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी ने सोमवार को राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ संवाद किया। जिसमें उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उद्योगकारों का आह्वान किया कि वे वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य में अपना निवेश बढ़ाएं और गुजरात के विकास को नए पंख दें। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 10,435 उद्यमियों को 956.51 करोड़ रुपए की प्रोत्साहक सहायता का वितरण करने के साथ ही उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 137 उद्योगों को 671 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति पत्र वितरित किए।

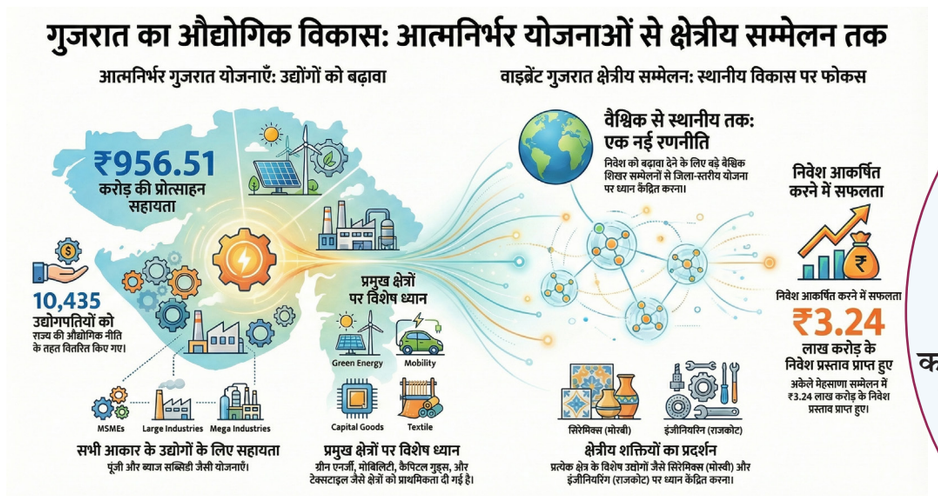

उप मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी ने उद्योगकारों से वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा का आह्वान किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ खड़ी है : श्री हर्षभाई संघवी

उप मुख्यमंत्री ने 10,435 उद्यमियों को 956.51 करोड़ रुपए की प्रोत्साहक सहायता और 137 उद्योगकारों को 671 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति पत्रों का वितरण किया

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सौराष्ट्र-कच्छ के उद्योग जगत के लिए नए युग का प्रवेश द्वार बनेगी : प्रभारी मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

इस अवसर पर उन्होंने राज्य की औद्योगिक नीति के तहत आज 10,435 उद्यमियों को 956.51 करोड़ रुपए की प्रोत्साहक सहायता का वितरण करने तथा उद्योग विभाग की टेक्सटाइल, इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज, पर्यावरण और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत 137 उद्यमियों को 671 करोड़ रुपए से अधिक के मंजूरी पत्र वितरित करने की घोषणा भी की।

राजकोट के प्रभारी मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने अपने संबोधन में कहा कि राजकोट राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक गढ़ है। स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि उद्योग जगत की छोटे-बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष लगातार पूरी जागरूकता के साथ मुद्दे उठाते हैं, जिससे राजकोट की विकास यात्रा को तेजी मिल रही है।

प्रभारी मंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शायद यह पहली ऐसी घटना है, जब समूचा उद्योग विभाग, उसके उच्च सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण राजकोट सहित सौराष्ट्र एवं कच्छ के उद्योगपतियों की समस्याओं को रूबरू सुनने और स्थल पर ही निराकरण लाने के लिए उपस्थित हैं। यह उद्योगों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य में तेज गति से हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए श्री वाघाणी ने कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ में आयोजित होने जा रही यह वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस उद्योग जगत के लिए नए युग का प्रवेश द्वार साबित होगी। जिला स्तर पर आयोजित कार्यशाला और कॉन्फ्रेंस के कारण करोड़ों रुपए के एमओयू हो रहे हैं।

प्रभारी मंत्री ने उद्योगपतियों और व्यापारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उद्योग जगत की दिक्कतों का स्थायी और उचित समाधान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जबकि राजकोट जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगाणी, सांसद श्री केसकरीदेव सिंह झाला, विधायक सर्वश्री उदयभाई कानगड़, रमेशभाई टीलाळा, डॉ. महेन्द्रभाई पाडलिया, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, डॉ. दर्शिताबेन शाह, दुर्लभजीभाई देथरिया, पूर्व सांसद श्री रमेशभाई धड़ुक, श्री माधवभाई दवे सहित कई अग्रणी, राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप, रेंज आईजी श्री अशोक यादव, एमएसएमई आयुक्त श्री संदीप सागले, भूविज्ञान और खनन आयुक्त, जीआईडीसी की प्रबंध निदेशक सुश्री प्रवीणा डी.के., सेटलमेंट कमिश्नर श्री बिजल शाह, मनपा आयुक्त श्री तुषार सुमेरा, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) आयुक्त, औद्योगिक विस्तार-ब्यूरो (इंडेक्स-बी) के एमडी श्री के.सी. संपत, जिला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश, जिला विकास अधिकारी श्री अनंदु सुरेश गोविंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और सौराष्ट्र एवं कच्छ के अग्रणी उद्योगकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

हिमाचल में पेयजल सुरक्षा पर सख्ती, हर दस दिन में स्रोतों की जांच अनिवार्य

(जीएनएस)। शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पेयजल सुरक्षा और जल शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को और अधिक कड़ा करने का निर्णय लिया है। जल शक्ति विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब सभी जल स्रोतों, भंडारण टैंकों और जल शोधन संयंत्रों की नियमित जांच तय समय पर की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि अब फील्ड अधिकारियों को हर दस दिन में निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ताकि जल गुणवत्ता और सुरक्षा पर सतत नजर रखी जा सके।

सोमवार को शिमला में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में डॉ. जैन ने कहा कि समस्याओं के सामने आने के बाद सुधार करने की बजाय उन्हें पहले ही रोकना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और गुणवत्ता बनाए रखना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही संभव है। बैठक में पेयजल योजनाओं के रखरखाव, जल शोधन संयंत्रों, पाइपलाइन और मल निकासी प्रणालियों की निगरानी के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

विभाग ने बताया कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के 17,632 गांवों में हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। इसके लिए जल गुणवत्ता परीक्षण के 72 प्रयोगशालाएं सक्रिय हैं, जिनमें जिला, उप-मंडल और एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला शामिल है। यह सुनिश्चित किया गया है कि समय पर जांच और त्वरित कार्रवाई की जा सके।

डॉ. जैन ने ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, ब्लॉक स्तर के संसाधन कर्मियों और फील्ड स्टाफ को निर्देश दिए कि वे नालों, खड्डों, झरनों और अन्य जल स्रोतों की नियमित निगरानी करें। फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की जाएगी और यदि किसी भी स्रोत में प्रदूषण या कमी पाई जाती है तो 15 दिन के भीतर सुधार कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी निरीक्षण और सुधार की रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है। उन्होने आम जनता से भी अपील की कि वे जल स्रोतों की सुरक्षा और शुद्धता सुनिश्चित करने में सहयोग करें। नागरिक अपनी सुविधा अनुसार जल नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में जमा कर सकते हैं। डॉ. जैन ने स्पष्ट किया कि स्रोत स्तर पर प्रदूषण को रोकना सबसे प्रभावी और टिकाऊ उपाय है। यदि पाइपलाइन में रिसाव या कोई अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री स्वयं विभाग की योजनाओं और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर विभाग की प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा ने बताया कि दिसंबर तक ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 2,16,382 जल नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से मात्र 5 नमूने ही मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके अलावा 1,71,250 नमूनों की जांच फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से की गई। विभाग ने 21,392 पेयजल स्रोतों और 15,611 गांवों के जल नमूनों की नियमित जांच के साथ 18,784 पेयजल स्रोतों का स्वच्छता सर्वेक्षण भी पूरा किया है, जिसमें फील्ड टीमों और ग्राम स्तरीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

डॉ. जैन ने बैठक में यह भी रेखांकित किया कि नियमित निरीक्षण और स्रोत स्तर पर सुधार कार्य से न केवल जल शुद्धता सुनिश्चित होगी बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल-संबंधित बीमारियों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह है कि हर नागरिक तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचे और किसी भी प्रकार की असुरक्षा या प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।

इस पहल से यह स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जल सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए तकनीकी साधनों के साथ-साथ नियमित फील्ड निरीक्षण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी महत्व दे रही है। अब प्रत्येक जल स्रोत की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर दस दिन में जांच अनिवार्य होगी, जिससे प्रदेश में जल सुरक्षा और स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाया जा सकेगा।

पंजाब से धराया गया एक लाख का इनामी नवी ग्रेवाल, यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता

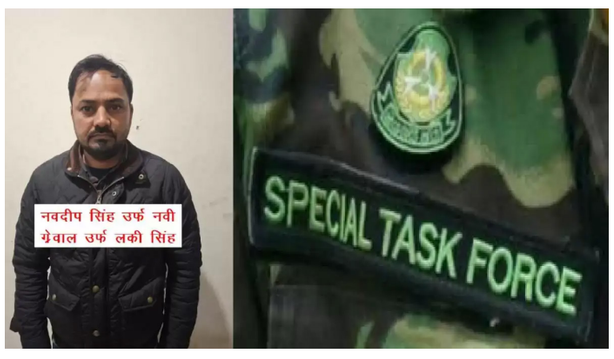

(जीएनएस)। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक लंबी और जटिल जांच के बाद पंजाब से एक लाख रुपये के इनामी आरोपी नवी ग्रेवाल उर्फ नवदीप सिंह उर्फ लकी सिंह को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। आरोपी 2023 से फरारी पर था और पुलिस की पकड़ से लगातार बचता रहा। एसटीएफ प्रयागराज फील्ड इकाई के पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि नवदीप सिंह उर्फ नवी ग्रेवाल पर प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के तहत गंभीर आपराधिक मामला दर्ज था। आरोपी लंबे समय से फरार था, जिसके चलते उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। फरारी के दौरान वह विभिन्न राज्यों में छिपता रहा और लगातार अवैध शराब तस्करी में संलिप्त था। एसटीएफ की कई टीमें लगातार अलग-अलग राज्यों में सक्रिय थीं और आरोपी की लोकेशन का पता लगाने के लिए लगातार सूचना एकत्रित की जा रही थी। इसी कड़ी में प्रयागराज फील्ड इकाई की टीम निरीक्षक जय प्रकाश राय के नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी। इस दौरान उप निरीक्षक रणेन्द्र कुमार सिंह की टीम को पुख्ता जानकारी मिली कि आरोपी पंजाब में छिपा हुआ है। सूचना के सत्यापन के बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवी ग्रेवाल को दबोच लिया और उसे उत्तर प्रदेश लाया गया।

जांच में हुआ खुलासा: यूपी, झारखंड और बिहार तक फैला नेटवर्क

पूछताछ में नवी ग्रेवाल ने स्वीकार किया कि वह संगठित तरीके से अवैध शराब तस्करी का संचालन करता रहा है। उसने बताया कि उसके पास हरियाणा निवासी मनवीर सिंह और अन्य सहयोगियों के साथ एक विस्तृत नेटवर्क था, जिसके माध्यम से वह पंजाब और चंडीगढ़ से अवैध शराब उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार तक ट्रकों के जरिए पहुंचाता रहा। आरोपी के अनुसार यह नेटवर्क कई वर्षों से सक्रिय था और इस दौरान बड़े पैमाने पर अवैध शराब की तस्करी की गई।

एसटीएफ ने बताया कि नवी ग्रेवाल इससे पहले रांची जेल भी जा चुका है, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद वह पुनः अपराध की दुनिया में लौट आया। उसकी गिरफ्तारी से अब तस्करी के इस व्यापक नेटवर्क का भी भंडाफोड़ होने की संभावना बढ़ गई है।

एसटीएफ की रणनीति और कार्रवाई

एसटीएफ के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नवी ग्रेवाल की गिरफ्तारी कई महीने की निगरानी और सूचनाओं के विश्लेषण का परिणाम है। टीम ने राज्य और पड़ोसी राज्यों में गुप्त रूप से छिपे हुए आरोपियों के बारे में लगातार सूचना एकत्र की और समय-समय पर ट्रैकिंग अभियान चलाया। आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों और उसकी गतिविधियों के रिकॉर्ड की जांच के बाद ही त्वरित कार्रवाई की गई।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश लाया गया, जहां उससे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश और पूरे नेटवर्क के विस्तार की जांच भी तेज कर दी गई है। इसका उद्देश्य न केवल आरोपी को कानूनी दायरे में लाना है, बल्कि अवैध शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क को समाप्त करना भी है।

जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर प्रभाव

इस गिरफ्तारी से प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अवैध शराब तस्करी कई सामाजिक और कानूनी समस्याओं को जन्म देती है, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, अपराध दर और स्थानीय हिंसा शामिल हैं। एसटीएफ की यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि अपराधियों को कानूनी दायरे से बाहर नहीं रहकर चलने दिया जाएगा और पुलिस सभी सक्रिय और फरार अपराधियों पर नजर बनाए रखेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, नवी ग्रेवाल जैसे अपराधियों का गिरोह न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतरराज्यीय स्तर पर भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उनकी गिरफ्तारी और नेटवर्क का भंडाफोड़ आने वाले समय में अन्य संभावित अपराधियों के लिए चेतावनी का काम करेगा।

आगे की कार्रवाई और निगरानी

एसटीएफ ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी से संबंधित सभी दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, आरोपी द्वारा उपयोग किए गए ट्रक, वाहन और अन्य संसाधनों की भी पड़ताल की जा रही है, ताकि अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी संभव हो सके। एसटीएफ की यह कार्रवाई राज्य और पड़ोसी राज्यों के बीच समन्वय की मिसाल भी मानी जा रही है। पंजाब से आरोपी की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया कि पुलिस और सुरक्षा बल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के पीछे सक्रिय हैं और उन्हें किसी भी हद तक पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ल मिलाकर, नवी ग्रेवाल की गिरफ्तारी न केवल एसटीएफ की सफलता है बल्कि अवैध शराब तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत भी मानी जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ कठोर संदेश देने के दृष्टिकोण से यह गिरफ्तारी बेहद अहम है। आने वाले दिनों में एसटीएफ द्वारा अन्य गिरोहों और अपराधियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा के स्तर में सुधार होगा।

सोना वायदा में 1994 रुपये और चांदी वायदा में 7283 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 47 रुपये बढ़ा

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 138118.31 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 37662.66 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 100430.71 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 35730 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2115.13 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 31337.63 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 136300 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 138200 रुपये और नीचे में 136300 रुपये पर पहुंचकर, 135761 रुपये के पिछले बंद के सामने 1994 रुपये या 1.47 फीसदी की तेजी के संग 137755 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 810 रुपये या 0.72 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 112830 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 112 रुपये या 0.8 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 14107 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जनवरी वायदा 135590 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 137497 रुपये और नीचे में 133864 रुपये पर पहुंचकर, 1998 रुपये या 1.5 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 135495 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 138340 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 138787 रुपये और नीचे में 137502 रुपये पर पहुंचकर, 136777 रुपये के पिछले बंद के सामने 1573 रुपये या 1.15 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 138350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 244000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 249900 रुपये और नीचे में 241223 रुपये पर पहुंचकर, 236316 रुपये के पिछले बंद के सामने 7283 रुपये या 3.08 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 243599 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 6778 रुपये या 2.84 फीसदी बढ़कर 245563 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 6714 रुपये या 2.81 फीसदी की बढ़त के साथ 245561 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कमोडिटी वायदाओं में 37662.66 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 100430.71 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 31337.63 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 35730 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 3972.00 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 16.9 रुपये या 1.31 फीसदी बढ़कर 1304 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 2.65 रुपये या 0.86 फीसदी की मजबूती के साथ 309.25 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 2.05 रुपये या 0.68 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 304.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 1.2 रुपये या 0.66 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 184.1 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2432.55 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5175 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5206 रुपये और नीचे में 5101 रुपये पर पहुंचकर, 47 रुपये या 0.91 फीसदी बढ़कर 5202 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 45 रुपये या 0.87 फीसदी की मजबूती के साथ 5202 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 327.6 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 327.6 रुपये और नीचे में 311.6 रुपये पर पहुंचकर, 332.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 16.5 रुपये या 4.96 फीसदी औंधकर 316.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 16.8 रुपये या 5.05 फीसदी लुढ़ककर 316.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 1017.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 31.4 रुपये या 3.01 फीसदी गिरकर 1010.5 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 16216.36 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 15121.27 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3368.47 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 326.56 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 33.97 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 240.34 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 642.17 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1779.98 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 7.43 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19012 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 73446 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27746 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 414453 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 45316 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16940 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40061 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 103902 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21768 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 42507 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 35650 पॉइंट पर खूलकर, 36026 के उच्च और 35351 के नीचले स्तर को छूकर, 558 पॉइंट बढ़कर 35730 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 15.9 रुपये की बढ़त के साथ 110.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 10.45 रुपये की गिरावट के साथ 20.05 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 526.5 रुपये की बढ़त के साथ 1850 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1730.5 रुपये की बढ़त के साथ 9004 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.87 रुपये की बढ़त के साथ 62.99 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.18 रुपये की बढ़त के साथ 11.7 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 31.7 रुपये की गिरावट के साथ 111.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.6 रुपये की बढ़त के साथ 18.05 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 340 रुपये की गिरावट के साथ 498 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 190000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 148 रुपये की गिरावट के साथ 1032.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 7.22 रुपये की गिरावट के साथ 13.39 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.59 रुपये की गिरावट के साथ 6.1 रुपये हुआ।